केसरीसिंहपुर इलाके में पाक ड्रोन को मार गिराया

देर रात बी.एस.एफ. और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी ड्रोन को फायरिंग करके गिरा दिया

श्रीगंगानगर, 4 फरवरी (कासं)। श्रीगंगानगर जिले के केसरीसिंहपुर इलाके में गत देर रात बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तानी ड्रोन को फायरिंग कर गिरा दिया। ड्रोन के बारे में सीआईडी जोन श्रीगंगानगर को इनपुट मिला था, कि इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है, इसके बाद तुरंत ड्रोन को मार गिराने की कार्रवाई की गई।

- ड्रोन के मलबे से दो पैकेट में 6 किलो हेरोइन मिली है।
- इस बारे में सी.आई.डी. ज़ोन श्रीगंगानगर को इनपुट मिला था। पंजाब के एक व्यक्ति से बी.एस.एफ. पूछताछ कर रही है।

सुरक्षाबलों ने फायरिंग करके शुक्रवार देर रात श्रीगंगानगर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बाद में सुरक्षाबलों ने जब ड्रोन की तलाशी ली तो उसमें से करीब छः किलो हैरोइन बरामद हुई।

सीआईडी जोन के इनपुट के बाद शुक्रवार देर रात बीएसएफ और पुलिस ने सीआईडी जोन के अधिकारियों के साथ इलाके में संयुक्त कार्रवाई शुरू की।

इस दौरान ड्रोन नजर आते ही इस पर फायरिंग की गई। इससे ड्रोन इलाके में गिर गया। इसका मलबा खेतों में बरामद कर लिया गया।

एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि बीएसएफ, पुलिस और सीआईडी जोन की संयुक्त कार्रवाई में फायरिंग कर एक ड्रोन को मार गिराया है। इसका मलबा मिल गया है। इलाके से दो पैकेट में करीब पांच से छह किलो हैरोइन मिली है। हालांकि अब तक इसका तौल नहीं किया गया है। पंजाब के एक व्यक्ति को पकड़ा गया है।

उससे बीएसएफ पूछताछ कर रही है। बाद में संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया जायेगा।

विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में संजय जैन के खिलाफ आरोप पत्र पेश

जयपुर, 4 फरवरी (का.सं.)। एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े ऑडियो टेप से जुड़े मामले में संजय जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम धारा 12 सपठित धारा 7 के तहत आरोप पत्र पेश किया है। जबकि गजेन्द्र सिंह व अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है।

ए.सी.बी. ने बताया कि 13 जुलाई, 2020 को संजय जैन के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लिया था। इसी दौरान 15 जुलाई को संजय की दिवंगत एमएलए भंवरलाल शर्मा व केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से बातचीत हुई थी और इसे रिकॉर्ड किया। बाद में ए.सी.बी. ने इसकी जांच सीएफएसएल हैदराबाद-तेलंगाना में करवाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही संजय जैन सहित अन्य को आरोपी माना गया। वहीं एमएलए भंवरलाल शर्मा का 9 अक्टूबर, 2022 को निधन हो गया है और इसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई को ड्रॉप किया गया है। ए.सी.बी. कोर्ट-एक के जज उपेंद्र शर्मा ने चालान को मंजूर करते हुए मामले में प्रसंज्ञान बहस के लिए एक मार्च की तारीख तय की है। इस मामले में ए.सी.बी. ने संजय जैन व केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के वॉइस सेंपल लेने के लिए निचली कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन निचली कोर्ट ने ए.सी.बी. की अर्जी को खारिज कर दिया था। इस आदेश को ए.सी.बी. ने डीजे कोर्ट में चुनौती दे रखी है।

- ए.सी.बी. ने संजय जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की है।
- ए.सी.बी. कोर्ट ने चार्जशीट पर बहस के लिए एक मार्च की तारीख तय की है।
- इस मामले में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच लम्बित है।

यह है मामला:- विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 17 जुलाई, 2020 को एसओजी में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें कहा कि आज 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुए हैं, जिसमें चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को खरीदने की बात कही जा रही हैं। एसओजी ने इसे राजद्रोह होना बताया।

वहीं एसओजी ने संजय जैन, अशोक सिंह चौहान एवं भरत कुमार मलानी को गिरफ्तार किया। हालांकि एसओजी ने 4 अगस्त को कोर्ट में कहा कि यह राजद्रोह का अपराध नहीं बनता हैं और इसे एसीबी में भेजा जाए। इसके बाद एसओजी ने मामले में एफआर पेश कर दी। दूसरी ओर एसीबी ने इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की। एसीबी ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर 6 अगस्त, 2020 को संजय जैन को पुनः गिरफ्तार किया था।

भारतीय सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्लीन चिट दे चुका है। जाहिर है कि नरेन्द्र मोदी सरकार बी.बी.सी. डॉक्यूमैन्ट्री को भारत-ब्रिटेन संबंधों के मामले में एक टकराव के बिन्दु के रूप में देख रही है, जिसने पुराने ज़ख्म ताज़ा कर दिये हैं। भारत सरकार का मानना है कि ब्रिटेन सरकार भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति में दिलचस्पी ले रही है तथा सिख एवं कश्मीरी उग्रवादी तत्वों का ख्याल रखने के अलावा, बांग्लादेश में शेख हसीना, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ तथा एम.क्यू.एम. के अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बी.एन.पी. ऐक्टिविस्टों का समर्थन कर रही है। विगत वर्षों में, इंग्लैंड ने नीरव मोदी, विजय माल्या तथा संजय भंडारी जैसे आर्थिक अपराधियों को भी शरण दी है, हालाँकि भारत और इंग्लैंड के बीच प्रत्यार्पण समझौता है, फिर भी कोई भी आर्थिक अपराधी यहाँ वापस नहीं भेजा गया है।

क्या जयपुर भी न्यूयॉर्क की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जगमगात आकाश को मैंने घंटों निहारा। में इस बात से उत्साहित था और रोमांचित था कि हजारों लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस धरती से ऐसा ही तारों से जगमबाता आसमान देखा था तब हमारी पृथ्वी पर कृत्रिम रोशनी नहीं थी। हालांकि जयपुर काफी व्यस्त है पर अभी भी इसमें "प्रकृति" मौजूद है, पर यह सब किसी प्रयासों से नहीं है बल्कि स्वाभाविक रूप से है। तो क्यों ना थोड़ा प्रयास किया जाए और व्यस्त शहर के बीच बसे छोटे-छोटे ग्रामीण भाग और प्रकृति के अंशों को बचाने व संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। न्यूयॉर्क में जब यह पता लगा कि एक चिड़िया फिफ्थ एवेन्यु की एक गगनचुम्बी इमारत की दरार में घोंसला बनाया है, तब वहां भारी उत्साह देखा गया था, यहां तक कि चिड़िया व बच्चे निकलने पर जश्न भी मनाया गया था।

शहर के प्रशासक जरा सोचें कि क्या लम्बे-लम्बे खंभों पर लगी लाइट्स को नीचे किया जा सकता है और क्या बनीपार्क सर्किल को जमीन पर लगी लाइट्स से जगमगाया जा सकता है। तब पक्षी भी जल्दी सो सकेंगे और उनकी रात आराम से कटेगी।

कांग्रेस ने शराब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम करने की अनुमति दे ही चुका है।

उन्होंने कहा कि चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि यह पैसा कहाँ-कहाँ गया। यह पैसा गोवा विधानसभा के पिछले चुनावों में विज्ञापनों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के एवज में उन्हें किये गये नकद भुगतान के काम आया था। माकन ने कहा कि थोक विक्रेताओं के 12 प्रतिशत लाभ में से 6 प्रतिशत हिस्सा, कथित रूप से, रिश्वत के रूप में वापस कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा शराब व्यापारियों को दी गई रियायत के कारण राजकोष को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि इन्हीं केजरीवाल ने 2014 में लोकपाल विधेयक लाने पर जोर दिया था तथा दिल्ली में, कमजोर लोकायुक्त काम नहीं कर रहा है क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहते कि उनकी आप सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच हो। माकन ने कहा, "जब से केजरीवाल सत्ता में आये हैं, लोकायुक्त, अपनी रिपोर्टों में, उन कमजोर कर दिये गये प्रतिबंधों को बताते आ रहे हैं, जिनका सामना वे "स्वतंत्रता, अधिकारों के अभाव, संकटग्रस्त वित्तीय स्वायत्ता, जाँच करने के लिए किसी भी तंत्र की अनुपलब्धता के रूप में कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ निष्फल रहा है।"

एक झटके में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया, पर निवेशक अभी भी अडानी समूह के दावे पर संदेह कर रहे हैं और इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

अडानी के बिजनैस पार्टनर्स और उन्हें ऋण देने वाले उनके साथ अपने सम्बंधों पर स्पष्टीकरण दे रहे है और मोदी सरकार पर दबाव है कि वे इसके खिलाफ जांच करवाएं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि अडानी का बुलबुला फूटेगा। अडानी समूह में निवेश की वजह से एल.आई.सी. को हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, इस देश के जिन लोगों ने अडानी के शेयर खरीदे उन्हें नुकसान हुआ है। एस.बी.आई. के पास कम मात्रा में शेयर हैं लेकिन एल.आई.सी., जिसके पास आम आदमी का पैसा है, को भारी नुकसान हुआ है।

सिंह ने कहा, महामारी के दौरान देश में हरेक की आय घटी थी पर कुछ उद्योगपतियों की सम्पत्ति बढ़ी थी उद्योग और बाजार बंद थे फिर उनकी बाजार पूंजी कैसे बढ़ी। भाजपा को बेनामी और बेहिसाब पैसा मिल रहा है। हालांकि आर.एस.एस. अडानी के बचाव में खुलकर सामने आया और कहा कि भारतीय अडानी के खिलाफ नकारात्मक माहौल बना रहे है इससे कहानी का दूसरा पक्ष उजागर होता है कि उन्होंने समूह द्वारा शेयरो में हेरफेर और फर्जीवाड़ा करने की बात से इन्कार किया।

संघ के मुखपत्र ने दावा किया कि विवाद की शुरुआत 25 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत तो 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। संघ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के एक एन.जी.ओ. बॉब ब्रॉउन फाउण्डेशन ने सिर्फ अडानी को बदनाम करने के लिए ही एक वेबसाइट बनाई थी। इसमें अडानी व उससे जुड़ी हर बात प्रसारित होती है।

हिट एंड रन केस में गवाह ने गायत्री देवी के पोते को पहचानने से इंकार किया

जयपुर, 4 फरवरी (का.सं.)। टोंक रोड पर 14 साल पहले कार दुर्घटना में छात्रा की मौत के मामले में आरोपी पूर्व राजमाता गायत्री देवी के पोते विजित सिंह शनिवार को महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दुर्घटना के चश्मदीद गवाह आफताब अहमद के बयान दर्ज कराए गए। बयानों में आफताब अहमद ने आरोपी विजित सिंह को देखकर कहा कि, वह उन्हें नहीं पहचानता और पहली बार आज कोर्ट में ही देखा है। मैंने कोई घटना भी नहीं देखी और जिस दिन यह घटना होना बताया गया है उस दिन में घर पर ही था। अदालत ने गवाह के बयान रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 4 मार्च को तय की है। प्रकरण में अभियोजन के कुल 25 गवाहों हैं। इनमें से अब तक दो गवाहों के ही बयान दर्ज हुए हैं।

मामले के अनुसार कोटा की कॉलेज व्याख्याता ने 16 दिसंबर 2008 को दुर्घटना थाना पूर्व में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि 14 दिसंबर 2008 को कॉलेज के टूर के लिए स्टूडेंट्स को कोटा से लेकर जयपुर लाया गया था। विद्यार्थियों का दल 15 दिसंबर को गांधीनगर, टोंक रोड स्थित रेस्तरां से बाहर निकल कर रोड पार कर रहे था। इसी दौरान रात 10.45 बजे काले रंग की गाडी ने हमारे साथ आगे चल रही बबीता, गौरी, मनिंदर कौर, शैफाली व मुकेश को जोरदार टक्कर मारी और वहां से भाग गया।

घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां बबीता की मौत हो गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विजित सिंह को गिरफ्तार किया था।

- यह मामला 15 साल पुराना, अर्थात् 16 दिसम्बर 2008 का है। कोटा की कॉलेज व्याख्याता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक काली कार सड़क पार कर रहे विद्यार्थियों को टक्कर मार कर फरार हो गई।
- इस हादसे में बबीता नाम की छात्रा की मौत हो गई थी।
- रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पूर्व राजमाता गायत्री देवी के पोते विजित सिंह को गिरफ्तार किया था।
- मामले में कुल 25 गवाह हैं, दो के ही बयान हुए हैं, अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी।

'भारतीय आई ड्रॉप से अमेरिकियों की आँखों की रोशनी जा रही है'

नई दिल्ली, 4 फरवरी (वार्ता)। भारतीय दवा निर्माता कंपनी की आंख की दवाई को लेकर अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सी.डी.सी.) के गंभीर आरोपों के बाद चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर ने अमेरिकी बाजार से आर्टिफीशियल टीयर्स दवा को हटा लिया है। खबरों के अनुसार इस दवा कंपनी पर कानूनी कार्रवाई भी शुरु कर दी गई है।

सी.डी.एस. ने बयान जारी करके कहा कई लोगों को जबरदस्त दुष्प्रभाव झेलने पड़े हैं और यह संभवतः आंख की इस दवा के इस्तेमाल के कारण ही हुआ हो। सी.डी.एस. ने अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (ए.डी.ए.) को भी सचेत करते हुए बताया कि आंखों के संक्रमण, स्थायी रूप से आंख की रोशनी चले जाने और इसी के प्रभाव से आंख में अत्यधिक रक्तस्त्राव एक व्यक्ति की मौत और 55 अन्य तरह की समस्याओं के मामले सामने आये हैं।

डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया पौने तीन सौ के पार हुआ

इस्लामाबाद, 4 फरवरी (वार्ता)। पाकिस्तानी रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट जारी है और वह डॉलर के मुकाबले गिरकर 276.58 रुपये पर आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एस.बी.पी.) के अनुसार शुक्रवार को अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर का कारोबार 276.58 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हुआ।

- स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार शुक्रवार को, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 276.58 के स्तर पर पहुँच गया।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को अमेरिकी डॉलर 271.36 रुपए पर बंद हुआ था। सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर स्थानीय मुद्रा में डॉलर के मुकाबले 5.22 रुपये या लगभग 1.89 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

एस.बी.पी. के पूर्व गवर्नर रेजा बाकिर ने कहा कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, निर्यात में गिरावट और विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों की ओर से पैसे भेजने में कमी के साथ विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट रुपये के मूल्य को सीधे प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी कारणों के साथ-साथ वैश्विक मंदी बाजार में नकारात्मक भावनाओं और अनिश्चितता में योगदान दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय मुद्रा में गिरावट आई है।

रेल किराये में रियायत

नई दिल्ली, 4 फरवरी। भारतीय रेलवे कम से कम यात्रा की किसी श्रेणी में वरिष्ठ नागरिक रियायत को बहाल करने पर विचार कर रहा है, जिसे देश में कोविड-19 के बाद लागू लॉकडाउन के बाद ट्रेन सेवाओं की बहाली के बाद खत्म कर दिया गया था। लोकसभा में चार संसद सदस्यों (सांसदों) द्वारा पूछे गए एक प्रश्न में कहा गया, 'संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है।'

केन्द्रीय मंत्री रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को बेहद कड़े शब्दों में नकारा

नई दिल्ली, 4 फरवरी। केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच बीते काफी समय से चल रही लड़ाई में शनिवार को एक नया नाटकीय मोड़ आ गया। एक तरफ तो ऐसा लगा कि, केन्द्र सरकार ने न्यायपालिका की ओर से मिली फटकार से सबक ले लिया है और शनिवार को फटाफट सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। वहीं दूसरी तरफ किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका पर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसे माना जा रहा है कि, उन्होंने न्यायपालिका की टिप्पणियों को सिरे से नकार दिया हो।

- रिजिजू ने कहा, कोई किसी को इस तरह चेतावनी नहीं दे सकता, हम सबको संविधान के हिसाब से कामकाज करना है।

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि 'मैंने देखा कि, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट ने (कोलीजियम पर) चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। हम अपने आप को इस महान देश के सेवक के रूप में देखते हैं, वह अपने आप में बड़ी बात है। लोगों ने हमें मौका दिया है काम करने का। आप सब प्रिवेलेज लोग हैं, जज-वकील बने हैं.. पढ़ लिखकर ही बने हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि देश के लिए काम करने के लिए जिम्मेदारी मिली है।' कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है।

भारत, फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर नया त्रिपक्षीय ग्रुप तैयार किया

नई दिल्ली, 4 फरवरी। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) ने शनिवार को एक त्रिपक्षीय मंच बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत तीनों देश मिलकर रक्षा सहयोग, सौर और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। भारत, फ्रांस और यू.ए.ई. के इस संगठन से पाकिस्तान और चीन चिंतित हो उठे हैं। इस मजबूत साझेदारी और सहयोग से हाल ही में संयुक्त अरब से भीख मांगने वाला पाकिस्तान और कुछ दिनों पहले इसी देश की यात्रा पर गए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निश्चित रूस से चिंता सताने लगी होगी। क्योंकि चीनी राष्ट्रपति अरब देशों के साथ व्यापार और सहयोग बढ़ाने कुछ दिन पहले ही यू.ए.ई. की यात्रा करके लौटे हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हाल ही में यू.ए.ई. गए थे, वहां उन्होंने अपने देश के लिए शर्मिंदगी पूर्वक कर्ज मांगा था। इसके बाद स्वयं यह बात सबको बताई थी कि उन्हें कर्ज मांगते शर्म आ रही थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर ऋण मांगा।

अब उसी यू.ए.ई. के साथ भारत और फ्रांस ने मिलकर यह बड़ा समझौता किया है। इस ढांचे के तहत रक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा तीनों देशों ने पेश की। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोनर पर बातचीत भी की है। इसके बाद एक संयुक्त बयान जारी कर बताया गया कि तीनों पक्षों ने त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सौर और परमाणु ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं को निष्पादित करने पर सहमति बनाई गई है।

वित्त मंत्री ने अडानी प्रकरण में सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नरेन्द्र मोदी के बीच नजदीकी संबंधों के चलते बुरी तरह घिर जाने के बाद, सरकार तथा सत्तारूढ़ पार्टी ने यह रणनीति अपनाई है कि संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा से बचा जाये तथा विपक्ष की इस माँग को खारिज कर दिया जाये कि इस मुद्दे की जाँच के लिये या तो कोई संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाये या फिर इसकी जाँच सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में कराई जाये। इसके साथ ही, सरकार ने तय किया है कि डैमेज कंट्रोल के लिये बड़े पैमाने पर मीडिया का उपयोग किया जाये।

सूत्रों ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को पूरा विश्वास है कि बड़े मीडिया प्रतिष्ठान सरकार के उद्देश्य को बेहतर तरीके को पूरा करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ऐसी पोस्टों से गुंजायमन हैं ही, जिनमें अडानी ग्रुप की पोल खोल देने वाले हिन्डनबर्ग रिसर्च को एक ऐसे अपराधी के रूप में प्रोजैक्ट किया जा रहा है जो देश की आर्थिक ग्रोथ की कहानी तथा भारत की प्रभुसत्ता पर हमला करने पर उतारु है। वॉट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित रिपोर्ट को मोदी सरकार के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है।

इससे पहले, सीतारमन ने जोर देते हुये कहा कि "रेल्यूलेटर्स सरकार के नियंत्रण से मुक्त हैं तथा यह काम उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे इस विशेष स्थिति में मार्केट का नियंत्रित बनाये रखने के लिये जो भी उचित समझे, वह करें।" उन्होंने कहा कि "सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के पास इस स्थिति को दुरुस्त बनाये रखने के पर्याप्त साधन हैं।"

इस "क्रैश" के फलस्वरुप अडानी ग्रुप द्वारा शेयरों की नई बिक्री को निरस्त कर दिये जाने के विशिष्ट प्रश्न का जवाब देते हुये वित्त मंत्री ने कहा, "एफ.पी.ओ. (फॉलोऑन पब्लिक ऑफर्स) इस देश से कितनी बार वापस हो गये हैं तथा इसके कारण भारत की छवि को कितनी बार नुकसान हुआ है तथा कितनी बार वे एफ.पी.ओ. वापस नहीं आये हैं?"

उनके इस बयान से एक सप्ताह पूर्व, अमेरिका की शॉर्ट-सैलर हिन्डनबर्ग रिसर्च, जो शेयरों के गिरने पर बाजी लगाकर पैसा बनाती है, ने अडानी ग्रुप पर "टैक्स हेवन" के अनुचित उपयोग तथा स्टॉक में फ्रॉड करने के आरोप लगाये थे तथा अडानी ग्रुप बहुत ज्यादा कर्ज होने पर चिन्ता जताई थी।

अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया है तथा कहा है कि स्टॉक में फर्जीवाड़ा करने के शॉर्ट-सैलर के आरोप "निराधार" हैं तथा ये आरोप भारतीय कानून की अनभिज्ञता का नतीजा हैं।

हिन्डनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की सात सूचीबद्ध कंपनियों की स्टॉक-गड़बड़ी की जानकारी दी है तथा ये कंपनियाँ कुल मिलाकर 100 अरब डॉलर से ज्यादा रकम गँवा चुकी है, जो उनकी मार्केट वैल्यू की करीब आधी राशि है। वित्त मंत्री ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) के जिस बयान का उल्लेख किया, उसमें आर.बी.आई. ने शुक्रवार को कहा था कि अडानी स्टॉक्स के धड़ाम से गिरने से भारतीय बैंकों के बारे में पैदा हो रही चिंताओं के बची देश की बैंकिंग व्यवस्था समुत्थानशील (रिज़ीलिएन्ट) एवं स्थिर बनी हुई है।

आर.बी.आई. ने कहा था, "पूँजी की पर्याप्तता, असैट क्वालिटी, लिक्विडिटी, पॉविजन कवरेज तथा लाभार्जन की स्थिति से संबंधित विभिन्न मानक दुरुस्त हैं। बैंक आर.बी.आई. द्वारा जारी "लार्ज एक्सपोज़र फ्रेमवर्क" गाइडलाइनों की भी अनुपालना कर रहे हैं।" अपने बयान में अडानी ग्रुप का नाम लिये बिना, आर.बी.आई. ने कहा कि वह सजग रहता है तथा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की मॉनिटरिंग करती रहती है।

विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है तथा उसने माँग की हे कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाये तथा पोट्र्स-टु-एनर्जी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच कराई जाये।

पाकिस्तान के प्र.मंत्री शहबाज शरीफ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने आई.एम.एफ. की कठोर शर्तों का विरोध करने की कोशिश की। इन शर्तों में सब्सिडीज़ कम करना और टैक्स बढ़ाना शामिल है।

पाकिस्तान एक गंभीर वित्तीय संकट में डूबता जा रहा है, इसलिए सरकार को आई.एम.एफ. द्वारा सिफारिश किए गए कुछ उपायों को बाध्य होकर लागू करना पड़ा है, जैसे कि ईंधन पर सब्सिडीज़ कम करना और पाकिस्तानी रूपए की कीमत के निर्धारण का काम मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देना।

जैसे कि ये समस्याएं ही काफी नहीं थी, पाकिस्तान के लिए एक अन्य बुरी खबर है। वह यह कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे "अधिनायकवादी" देशों से थोड़ा ही ऊपर रखा गया है।

समा टी.वी. ने खबर दी कि इकोनॉमिक इन्टैलीजैंस यूनिट्स (ई.आई.यू) के गुरूवार को जारी डैमोक्रेसी इण्डैक्स-2022 में ऐसा दावा किया गया है।

समा टी.वी. पाकिस्तान का एक उर्दू न्यूज़ चैनल है। इण्डैक्स के अनुसार वर्ष 2022 में पाकिस्तान का संचयी स्कोर 4.13 था, जिससे वह कुल 167 देशों में तीन स्थान फिसलकर 107वें पायदान पर आ गया।

समा टी.वी. ने खबर दी कि इण्डैक्स में पाकिस्तान को कोट डिवा अर्थात आईवरी कोस्ट (106वां स्थान) और मॉरीतानिया (108वां स्थान) के साथ शुमार किया गया है। इन सभी को "हाईब्रिड व्यवस्थाओं" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

पाकिस्तान ने कुछ पांच श्रेणियों में चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद में 5.67, सरकार के कामकाज में 5, राजनीतिक भागीदारी में 2.78, राजनीतिक संस्कृति में 2.5 और नागरिक स्वतंत्रता में 4.71 का स्कोर किया। ई.आई.यू. ने बताया कि उसने वर्ष 2006 में डैमोक्रेसी इण्डैक्स की शुरूआत की थी जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया के 165 स्वतंत्र देशों और दो क्षेत्रों में लोकतंत्र की दशा की सतही जानकारी उपलब्ध करवाना था। इसमें छोटे देशों को छोड़कर दुनिया की बहुसंख्यक आबादी को कवर किया गया था।

इन श्रेणियों के अंतर्गत कई इण्डीकेटर्स को लेकर प्राप्त स्कोर के आधार पर देशों में मौजूद शासन के कुल चार वर्गीकरण किए गए हैं- पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, हाईब्रिड शासन या आधिनायकवादी शासन। रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया कि कुल देशों में केवल 24 या 14.4 प्रतिश देश ही ऐसे हैं जिन्हें "पूर्ण लोकतंत्र" के अंतर्गत रखा जाता है और जिनमें दुनिया की 8 प्रतिशत आबादी रहती है। समा टी.वी. की खबर के अनुसार हाईब्रिड शासन में वे देश आते हैं जहां अधिनायकवादी सरकारें नहीं हैं किन्तु वहां लोकतंत्र भी नहीं है। इस श्रेणी में कुल 36 देश हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है।

इनमें करीब 21.6 प्रतिशत देश हैं जो दुनिया की कुल आबादी के 17.9 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाई ब्रिड शासन वे हैं जहाँ चुनावों में भारी अनियमितताएं होती है और चुनावों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने में प्रायः बाधा डाली जाती है।

विपक्षी पार्टियों और उम्मीदवारों पर सरकार का दबाव आम बात हो सकती है। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्रों की तुलना में इनमें गंभीर कमजोरियाँ अधिक आम है।

समा टी.वी. ने ई.आई.यू. इण्डैक्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि वर्ष 2022 में करीब 36 देशों को "हाई ब्रिड" की श्रेणी में रखा गया। पिछले वर्ष की तुलना में इनमें 34 का इजाफा हुआ है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908